भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
अतारांकित प्रश्न सं.308
दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

308. श्री एन.रेड्डप्प:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में निजी एवं सरकारी साझेदारी की भूमिका का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश मुख्यतया निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है । सरकार, उनके प्रयासों को विभिन्न स्कीमों और नीतिगत उपायों के माध्यम से समर्थन देती है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में सभी प्रकार की कृषि एवं समुद्री उपज के परिरक्षण एवं प्रसंस्करण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने और सुविधा प्रधान करने की दृष्टि से अन्य के साथ-साथ आधुनिक अवसंरचना तथा दक्ष आपूर्ति श्रृंखला का सृजन करने के उद्देश्य से (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना; (iii)कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना; (iv) बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन;(v)खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार; (vi) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना एवं (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान जैसे स्कीम घटकों के साथ केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम – प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना चला रहा है । मंत्रालय, चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर टमाटर, प्याज तथा आलू (टीओपी) फसलों की मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए नवम्बर, 2018 से "ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम भी चला रहा है ।

उपर्युक्त स्कीमें मांग प्रेरित हैं । मंत्रालय, अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारिताओं, समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कंपनियों तथा केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराता है ।

स्कीमों का कार्यान्वयन करने के अलावा, सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन एवं वृद्धि के लिए कई कदम/उपाए किए हैं जो निम्नानुसार हैं: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि का सृजन, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) के लिए खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों तथा कोल्ड चेन अवसंरचना को कृषि कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत करना, अधिकांश खाद्य उत्पादों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की कम दरें निर्धारित करना, नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के लिए (पहले पांच वर्षों तक) लाभ पर आयकर से 100 प्रतिशत की छूट देना, 100 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले एफपीओज द्वारा कृषि उपज के फसलोत्तर मूल्यवर्धन जैसे कार्यकलापों से अर्जित लाभ पर आयकर से 100 प्रतिशत की छूट, परियोजना आयात लाभ स्कीम के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए रियायती आयात शुल्क, एडवांस अथॅराइजेशन स्कीम के अंतर्गत कच्ची सामग्री के आयात पर आयात शुल्क से छूट देना आदि ।

*****